



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

आर्द्धभूमि संरक्षण को मुख्यधारा में लाने की
आवश्यकता


आर्द्धभूमि संरक्षण को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता

संदर्भ

- शहरीकरण, कृषि विस्तार एवं औद्योगिक गतिविधियों के कारण आर्द्धभूमि का क्षरण और हानि खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। नीति और विकास एजेंडे में आर्द्धभूमि संरक्षण को मुख्यधारा में लाना एक तत्काल आवश्यकता है।

आर्द्धभूमियों के बारे में

- आर्द्धभूमि, जिन्हें प्रायः 'पृथ्वी के किडनी' कहा जाता है, जैव विविधता संरक्षण, जल शोधन और जलवायु विनियमन सहित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।



- इन पारिस्थितिकी प्रणालियों में दलदल, दलदली भूमि, झीलें, बाढ़ के मैदान, मैंग्रोव और तटीय लैगून शामिल हैं, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों एवं जीवों का पोषण करते हैं।
- ये आर्द्धभूमि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.8% हिस्सा बनाती हैं, और यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की कम से कम 6% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए सीधे आर्द्धभूमि पर निर्भर करती है।

आर्द्धभूमियों को संरक्षण नीतियों में मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता क्यों है?

- जैव विविधता हॉटस्पॉट:** वेटलैंड्स विविध वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करते हैं, जिनमें प्रवासी पक्षी, मछली एवं उभयचर शामिल हैं। उनके नुकसान से इन पारिस्थितिकी प्रणालियों पर निर्भर प्रजातियों को खतरा है।
 - उदाहरण के लिए, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी पक्षी जनसंख्या के लिए जाना जाता है।
- बाढ़ नियंत्रण और जलवायु विनियमन:** मैंग्रोव वन और बाढ़ के मैदान वेटलैंड्स अतिरिक्त बाढ़ के जल को अवशोषित करते हैं तथा चक्रवात एवं सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करते हैं।

- कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हुए, वेटलैंड्स कार्बन को संग्रहीत करके और तापमान को नियंत्रित करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता करते हैं।
- **जल शोधन और भूजल पुनर्भरण:** वेटलैंड्स प्राकृतिक जल फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, प्रदूषकों और तलछट को फँसाते हैं। वे भूजल भंडार को फिर से भरने में सहायता करते हैं।
- **आजीविका और अर्थव्यवस्था:** लाखों लोग, विशेष रूप से मछली पकड़ने वाले समुदाय, अपनी आजीविका के लिए वेटलैंड्स पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, ओडिशा में चिल्का झील 150,000 से अधिक मछुआरों का भरण-पोषण करती है।
- **सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक मूल्य:** कई आर्द्धभूमियाँ सांस्कृतिक विरासत का भाग हैं और स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण स्थल हैं।

भारत में आर्द्धभूमि संरक्षण की चुनौतियाँ

- **शहरीकरण और अतिक्रमण:** अनियोजित शहरी विस्तार अतिक्रमण को बढ़ावा देता है, जिससे प्राकृतिक जल विज्ञान में बदलाव आता है।
 - उदाहरण: मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड, भोपाल के तेजी से विकास के कारण अत्यधिक अतिक्रमण का सामना कर रहा है (रामसर साइट रिपोर्ट, 2023)।
- **ओद्योगिक अपशिष्टों से प्रदूषण:** अनुपचारित सीवेज और ओद्योगिक अपशिष्ट के निर्वहन से जल की गुणवत्ता एवं जलीय जैव विविधता में गिरावट आती है।
 - उदाहरण: दिल्ली में यमुना बाढ़ के मैदान की आर्द्धभूमि भारी ओद्योगिक प्रदूषण और अनुपचारित सीवेज से ग्रस्त है।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** बढ़ते तापमान और अनियमित वर्षा पैटर्न आर्द्धभूमि जल विज्ञान को बदल देते हैं।
 - उदाहरण: जम्मू और कश्मीर में वुलर झील, हिमनदों के पिघलने एवं हिमालयी राज्यों में बादल फटने की घटनाओं के कारण जल स्तर में उतार-चढ़ाव का सामना कर रही है।
- **अनियमित पर्यटन और अतिदोहन:** अत्यधिक मानवीय गतिविधि से आवास विनाश होता है।
 - उदाहरण: हाल के वर्षों में, महाराष्ट्र में जुगनू के आवासों में अनियमित पर्यटन के कारण अत्यधिक गिरावट आई है।
- **आक्रामक प्रजातियों का प्रसार:** गैर-देशी प्रजातियाँ, जैसे जलकुंभी, आर्द्धभूमि को अवरुद्ध करती हैं, जैव विविधता और स्थानीय आजीविका को क्षति पहुँचाती हैं।
 - उदाहरण: केरल की वेम्बनाड झील, जलकुंभी से परिपूर्ण हो गई है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बाधित हो रहा है।
- **जागरूकता और नीति कार्यान्वयन की कमी:** संरक्षण कानूनों के बावजूद, प्रवर्तन कमज़ोर बना हुआ है।
 - उदाहरण: रामसर स्थल की स्थिति के बावजूद, पूर्वी कोलकाता आर्द्धभूमि, अपर्याप्त प्रवर्तन से ग्रस्त है, जिससे क्षरण हो रहा है।

आर्द्धभूमि संरक्षण के लिए पहल

- **कानूनी संरक्षण:** आर्द्धभूमि को भारतीय वन अधिनियम (1927), वन (संरक्षण) अधिनियम (1980) और भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972) सहित विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों के तहत संरक्षित किया जाता है।
- **पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत के आर्द्धभूमि पोर्टल:** यह भारत की आर्द्धभूमि के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्षमता निर्माण सामग्री, डेटा रिपॉर्टिंग एवं डैशबोर्ड शामिल हैं।

- जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (NPCA): आर्द्धभूमि और झीलों के संरक्षण के लिए एक केंद्रीय योजना।
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC) द्वारा राष्ट्रीय आर्द्धभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस: यह पिछले एक दशक में देश भर में आर्द्धभूमि में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है।
- नमामि गंगे के साथ एकीकरण: जल शक्ति मंत्रालय ने नमामि गंगे कार्यक्रम के साथ आर्द्धभूमि संरक्षण के एकीकरण पर प्रकाश डाला।
 - राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने ऐसी पहल की है जो देश भर में आर्द्धभूमि संरक्षण के लिए मॉडल के रूप में कार्य करती हैं।
- अमृत धरोहर योजना (केंद्रीय बजट 2023-24): इसका उद्देश्य अगले तीन वर्षों में आर्द्धभूमि के उपयोग को अनुकूलित करना है। इसके लक्ष्यों में जैव विविधता को बढ़ाना, कार्बन स्टॉक बढ़ाना, इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों के लिए आय उत्पन्न करना शामिल है, जो सरकार के सतत विकास दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- राष्ट्रीय बन्यजीव कार्य योजना (2017-2031): यह आर्द्धभूमि सहित अंतर्रेशीय जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण पर बल देती है। यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए उनके महत्व को पहचानते हुए इन आवासों को संरक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय आर्द्धभूमि मिशन का समर्थन करती है।
- आर्द्धभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017: आर्द्धभूमि के आसपास की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए रूपरेखा।

भारत में आर्द्धभूमि संरक्षण के लिए प्रमुख रणनीतियाँ

- शहरी नियोजन में आर्द्धभूमि संरक्षण को एकीकृत करना: स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और बुनियादी ढाँचे के विकास में आर्द्धभूमि संरक्षण पर विचार किया जाना चाहिए।
 - उदाहरण: अमृत सरोवर मिशन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल निकायों का कायाकल्प करना है, उन्हें स्थायी शहर नियोजन में एकीकृत करना है।
- कानूनी संरक्षण को मजबूत करना: पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन को बढ़ाना और अतिक्रमण को दंडित करना।
 - उदाहरण: असम के दीपोर बील आर्द्धभूमि में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण रामसर साइट में ठोस अपशिष्ट डंप करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- पुनर्स्थापना और वैज्ञानिक अनुसंधान: आर्द्धभूमि पुनर्स्थापना और जैव विविधता संरक्षण के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करना।
 - उदाहरण: नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा के किनारे आर्द्धभूमि को पुनर्जीवित करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है।
- सामुदायिक भागीदारी: संरक्षण प्रयासों में स्थानीय भागीदारी स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करती है।
 - उदाहरण: चिल्का विकास प्राधिकरण (CDA) आर्द्धभूमि प्रशासन में स्थानीय मछुआरों को शामिल करता है, जिससे सफल संरक्षण परिणाम प्राप्त होते हैं।
- नीति प्रवर्तन को मजबूत करना: आर्द्धभूमि क्षरण को रोकने के लिए पर्यावरण कानूनों के सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

- **उदाहरण:** जयपुर में मानसागर झील पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों ने पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुँचाने वाली निर्माण गतिविधियों को रोका।
- **आर्द्धभूमि संरक्षण के लिए वित्त पोषण और प्रोत्साहन:** CSR पहलों के माध्यम से संरक्षण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
 - **उदाहरण:** अमेज़ॅन-ARGA MoU (2025) आर्द्धभूमि आधारित स्थायी आजीविका में महिला उद्यमियों का समर्थन करता है।
- **इको-टूरिज्म और संधारणीय आजीविका:** आर्द्धभूमि को इको-टूरिज्म स्थलों के रूप में बढ़ावा देने से संरक्षण सुनिश्चित करते हुए राजस्व उत्पन्न हो सकता है।
 - **उदाहरण:** मणिपुर में लोकतक झील फ्लोटिंग होमस्टे परियोजना संरक्षण को संधारणीय पर्यटन के साथ एकीकृत करती है।
- **वैज्ञानिक निगरानी और अनुसंधान:** आर्द्धभूमि के स्वास्थ्य का आकलन करने और डेटा-संचालित नीतियों को तैयार करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए।
 - **उदाहरण:** इसरो की राष्ट्रीय आर्द्धभूमि सूची और मूल्यांकन (2022) आर्द्धभूमि की स्थितियों में महत्वपूर्ण उपग्रह-आधारित जानकारी प्रदान करता है।

निष्कर्ष

- भारत की पारिस्थितिकी और आर्थिक सुरक्षा के लिए आर्द्धभूमि अपरिहार्य हैं। हालाँकि भारत ने संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम उठाए हैं, लेकिन आर्द्धभूमि प्रबंधन को मुख्यधारा की नीति निर्माण में एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता है।
- कानूनी, वैज्ञानिक और समुदाय-संचालित दृष्टिकोणों को मिलाकर, भारत भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा कर सकता है।

आर्द्धभूमि के प्रकार

- **अंतर्देशीय आर्द्धभूमि:** नदियाँ, झीलें, बाढ़ के मैदान और दलदल। उदाहरण: लोकतक झील (मणिपुर), बुलर झील (जम्मू और कश्मीर), सुंदरबन आर्द्धभूमि (पश्चिम बंगाल)।
- **तटीय आर्द्धभूमि:** मैंग्रोव, लैगून, मुहाना, प्रवाल भित्तियाँ और नमक दलदल। उदाहरण: चिल्का झील (ओडिशा), पिचवरम मैंग्रोव (तमिलनाडु)।
- **मानव निर्मित आर्द्धभूमि:** जलाशय, टैंक और नमक के तालाब। उदाहरण: हुसैन सागर झील (तेलंगाना), केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान)।

आर्द्धभूमि का राज्यवार वितरण (राज्य का भौगोलिक क्षेत्र)

- लक्ष्मीप (96.12%), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (18.52%), दमन और दीव (18.46%), गुजरात (17.56%), पुडुचेरी (12.88%), पश्चिम बंगाल (12.48%), असम (9.74%), तमिलनाडु (6.92%), गोवा (5.76%), आंध्र प्रदेश (5.26%), तथा उत्तर प्रदेश (5.16%)।
- **न्यूनतम विस्तार:** मिजोरम (0.66%), हरियाणा (0.86%), दिल्ली (0.93%), सिक्किम (1.05%), नागालैंड (1.30%), और मेघालय (1.34%)।

भारत में रामसर आर्द्धभूमि

- ईरानी शहर रामसर में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेशन (1971) आर्द्धभूमि संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
 - जनवरी 2025 तक, भारत में 89 रामसर स्थल हैं जो 13 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं।
 - कुछ उल्लेखनीय स्थलों में शामिल हैं: **अष्टमुडी वेटलैंड (केरल)**: मछली पकड़ने और पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण बैकवाटर सिस्टम।
 - सुंदरबन वेटलैंड (पश्चिम बंगाल)**: विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, रॉयल बंगाल टाइगर का आवास स्थल।
 - लोकटक झील (मणिपुर)**: अपनी अद्वितीय तैरती फुमदी (वनस्पति मैट) के लिए जानी जाती है।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: समकालीन पर्यावरण नीति में आर्द्धभूमि संरक्षण को मुख्यधारा में लाने के महत्व पर चर्चा कीजिए। आर्द्धभूमि के पारिस्थितिक, आर्थिक एवं सामाजिक लाभों पर विचार कीजिए, तथा आर्द्धभूमि संरक्षण को राष्ट्रीय और वैश्विक ढाँचे में एकीकृत करने के लिए रणनीतियाँ प्रस्तावित कीजिए।

